भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3197

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नासिक में एम्स

3197. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नासिक में एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान की तत्काल आवश्यकता की जानकारी है जहां उत्तरी महाराष्ट्र में जनजातीय जनसंख्या काफी अधिक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नासिक में इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की कमी और जनजातीय आबादी को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के महत्व को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मंजूरी देने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो नासिक में प्रस्तावित एम्स संस्थान का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने भूमि की उपलब्धता, संपर्क और जनशक्ति की आवश्यकता जैसे कारकों पर विचार करते हुए

नासिक में एम्स संस्थान स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की नासिक में प्रस्तावित एम्स संस्थान के अलावा कोई अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना है ताकि इस क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, महाराष्ट्र के नागपुर में एक एम्स जो काम कर रहा है सहित 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के विस्तार और सुदृढीकरण, पीएमएसएसवाई के अन्य

घटक के तहत केंद्र-राज्य लागत साझाकरण के आधार पर अति विशिष्ट ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण के माध्यम से निम्नलिखित छह (06) कॉलेजों/संस्थानों (i) ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मुंबई (ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर (iii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद (iv) सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर (v) सरकारी मेडिकल कॉलेज, अकोला और (vi) श्री वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज, यवतमाल के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। पीएमएसएसवाई के वर्तमान चरण में, महाराष्ट्र के नासिक में एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, केंद्र-राज्य लागत साझाकरण के आधार पर महाराष्ट्र के गोंदिया और नंदुरबार में 02 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की वृद्धि के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत, 345.79 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 11 मेडिकल कॉलेजों में 692 पीजी सीटों को मंजूरी दी गई है।

देश में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन की सीएसएस योजना के तहत, 839.86 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से महाराष्ट्र के 14 कॉलेजों में 700 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना के अंतर्गत, जिला स्तर पर 25 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 24 गहन परिचर्या ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए महाराष्ट्र राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए 681.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत अवसंरचना सुदृढीकरण को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए निम्नलिखित राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) को मंजूरी दी गई है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रुपये)
1	2021-22	55881.84
2	2022-23	61535.48
3	2023-24	60134.13

******